—: न्यायालय उपखण्डअधिकारीनसीराबादजिलाअजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 67/2020

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र श्रीकिशन जाति भांबी निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. रामी पत्नी रामकिशन,
2. मुकेश पुत्र रामकिशन,
3. रणजीत पुत्र रामकिशन जाति भांबी नि0 भटियानी, नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
5. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान श्रेत्रीय ग्रामीण बैंक नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 व 5 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

6. धर्मवीर,
7. सत्यनारायण,
8. कंचन पि0 श्रीकिशन जाति भांबी नि0 भटियानी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 12.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 333 के हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.78 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पिता श्रीकिशन पुत्र बख्तावर की कयशुदा है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रामकिशन पुत्र गंगाराम का 1/2 हिस्सा व रामचन्द्र पुत्र गंगाराम का 1/2 हिस्सा निहित था। वादी के पिता श्रीकिशन द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रामकिशन पुत्र गंगाराम का 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा जरियें विकय पत्र दिनांक 20.1.01 को व शेष हिस्सा 22.11.2001 को कय कर लिया उक्त दोनो विकय पत्र की पालना तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में वादी के पिता केता के पक्ष में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.78 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1/4 हिस्सा त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिया। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] र्मा प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:06 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 1 से 3 व 5 से 8 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैराकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भटियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 333 के हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.78 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पिता श्रीकिशन पुत्र बख्तावर की क्रयशुदा है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रामकिशन पुत्र गंगाराम का 1/2 हिस्सा व रामचन्द्र पुत्र गंगाराम का 1/2 हिस्सा निहित था। वादी के पिता श्रीकिशन द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रामकिशन पुत्र गंगाराम का 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 20.1.01 को व शेष हिस्सा 22.11.2001 को क्रय कर लिया उक्त दोनो विक्रय पत्र की पालना तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 12.3.2001 व नामान्तकरण संख्या 20.07.2002 द्वारा वादी के पिता क्रेता के पक्ष में की गयी। वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद भी किया गया। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.78 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1/4 हिस्सा त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा आराजी मुतनाजा मे अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान किया जा चुका वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र पंजीकृत है, जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विक्रेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में रहन दर्ज है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा उक्त आराजी का बैचान पूर्व में किये जाने से उक्त रहन का इन्द्राज वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 पर अप्रभावी है। वादी खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.78 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय ,उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

ओमप्रकाश बनाम रामी

राजस्व मुकदमा नम्बर –67 / 2020
पेश करने की दिनांक –05.08.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नितेश यादव मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 163 रकबा 1.78 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:06 IST
Reason: SelfAttested